अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/335/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 08/05/2013

सेवा में

श्री जगमोहन अरोड़ा,
म. सं. 13-14, न्यू लॉयलपुर
एक्सटेंशन
नई दिल्ली-110051

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 19.03.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 26.04.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ।

2. इस संबंध में, यह भी सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन में अस्पष्ट प्रश्न/सवाल हैं जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के अन्तर्गत यथा परिभाषित सूचना की परिभाषा से परे है। तथापि, चूंकि आपके आवेदन की वषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है, इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपका आवेदन दिल्ली पुलिस को अंतरित किया जा रहा है ताकि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे ही प्रदान की जा सके।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया

(एस.सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव (डी पी-।।)
दूरभाष: 23092856

Issued with encl. 1317 16/5.

प्रति प्रेषित:

1. लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-सीधे आवेदक को अपेक्षित सूचना प्रदान करने के अनुरोध के साथ आर टी आई आवेदन की एक प्रति संलगन है।

अ (508)/2013 R.T.I

सेवा में,

दिनांक 19/3/013

MANISTARY OF LAW AND JUSTICE
ROOM NO. 402, 403 FORTH FLOOR
SHASTRI BHAWAN A-WING AWING JANPATH

विषय : हमारे द्वारा 13, न्यू लाजपतनगर [illegible] को भेजी गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही न होना तथा आर.टी.आई. में मांगी गई जानकारी सही नहीं देना।

महोदय,

हमने 23/11/2012 से लेकर 09/01/2013 तक आपको पत्र द्वारा जो शिकायतें भेजी थीं उन पर आज 100 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमें बताया कि [illegible] की आपको शिकायत पुलिस आयुक्त को भेज दी गई है। कृपया हमें बताया जाए कि आपके विभाग द्वारा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती? आपके विभाग ने दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की, क्या कानून व्यवस्था की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे तो हमने भी काफी पत्र कमिश्नर, डी.सी.पी., ए.सी.पी., एस.एच.ओ. को भेजे हैं कि वह कार्यवाही करें परन्तु उन्होंने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना किस विभाग की जिम्मेदारी है। क्या यह सारा काम कानून के दायरे में हुआ। जो दिनांक 21/11 2012 की रात 11 बजे से 26/11/2012 दोपहर 2 बजे हुआ। कृपया बताया जाये।

1. दिनांक 21/11/2012 शाम 6:30 बजे झूठे रेन्ट एग्रीमेन्ट के [illegible] पर मुझे जबरदस्ती थाने ले जाया गया और दफा 448 का झूठा मुकदमा बनाया गया और रात 12:30 बजे तक वहीं बिठाकर मुझे जमानत पर छोड़ा गया [illegible] पीछे रात 11 बजे [illegible] सारा काण्ड कराया गया। [illegible]
2. दिनांक 21/11/2012 को रात 11 बजे एस.एच.ओ. जगत पुरी ने पुलिस बल और [illegible] किस कानून के तहत यह कार्यवाही की और किसकी शिकायत पर रात 11 बजे पुलिस वहीं पहुंची?
3. [illegible] कानून के तहत उन्होंने 75 वर्षीय हार्ट पेशेन्ट विधवा महिला का सामान कानून को [illegible] [illegible] घर से बाहर फिकवाया जहां वह पिछले 30 साल से रह रही थी। वह मकान [illegible] [illegible] है, जिसका हाउस टैक्स, [illegible], सीवर, पानी का मीटर, टेलीफोन आदि सभी बिल [illegible] पास [illegible] [illegible]
4. दिनांक 22/11/2012 की रात 12 बजे पुलिस वालों से मिलकर गुण्डों ने मेरे घर पर कब्जा किया और [illegible] मुकदमा 107, 150 मेरे खिलाफ बना दिया। जो व्यक्ति झगड़ा करने आए थे, उनमें [illegible] [illegible] ने कोई भी नहीं [illegible]। हमला रात 12 बजे मेरे घर पर हुआ। तब हम [illegible] 100 [illegible] फोन किया, लेकिन थाने से जो पुलिसकर्मी आए उन्होंने उल्टा मुझे ही फंसा दिया।
5. दिनांक [illegible]/2012 की रात से लेकर 26/11/2012 तक हमने [illegible] कॉल पुलिस को किए पर [illegible] [illegible] नहीं हुई। बताया जाए क्यों नहीं हुई।
6. दिनांक 21/11/2012 की रात 11 बजे से 26/11/2012 तक ए.सी.पी. साहब से तीन बार बात हुई जिनका मो. नं. 8750870606...... है। लेकिन उन्होंने ने भी कोई कार्यवाही नहीं की। कृपया जवाब दिया जाए क्यों?
7. दिनांक 26/11/2012 को दोपहर 10-15 गुण्डों ने हमारे मकान के लैंटर दो जगह से तोड़ दिए, पुलिस को बुलाया लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही उन गुण्डों के खिलाफ नहीं हुई। कृपया जवाब दें।

8. पुलिस ने झूठे रेंट एग्रीमेंट पर यह सारी कार्यवाही की। पुलिस ने रेंट एग्रीमेंट की जांच भी नहीं कराई। क्योंकि पुलिस पूर्ण रूप से गुण्डों से मिली हुई थी और पैसे खाकर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कृपया जांच करवाई जाये। अब तक क्या जांच हुई बताया जाये।

9. जी.पी.ए. कैंसिल करने का मामला कोर्ट में था और है। मेरे बार–बार बताने पर भी यह सारा कार्य एस.एच.ओ. साहब ने किया। कृपया बताया जाए यह अदालत का अपमान है या नहीं। यदि ऐसा ही होता रहा तब अदालत का सम्मान कौन करेगा और इसे रोकने की जिम्मेदारी किस विभाग की है।

10. कौन से कानून के तहत एस.एच.ओ. ने वहाँ गुलशन के ताले लगवाये और कुछ का सामान बाहर फेंक कर उस पर मकान पर कब्जा कर लिया। कृपया जवाब दें।

11. यह सारा कार्य कानून के तहत हुआ या गैर कानूनी, कृपया जवाब दें।

12. कृपया हमें बताया जाए कि हमारे द्वारा की गई शिकायतों को रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया गया। आज इस बात को 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। कृपया जवाब दें।

अतः आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त लिखित सभी बातों को मद्दे नजर रखते हुए जल्द से जल्द हमें जवाब दें। ([illegible])

धन्यवाद।

प्रार्थी :

JagMohan

[illegible]

13-[illegible], न्यू लायलपुर विस्तार

दिल्ली–110051

JagMohan

POSTAGE STAMPS

NO OBF – [illegible]096